कार्यालय–नजारत अनुभाग, वाहय न्यायालय मऊ, (सिविल जज, जू0डि0) चित्रकूट।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020–2021 के लिए वाहय न्यायालय मऊ, (सिविल जज, जू0डि0) चित्रकूट परिसर में दिनांक 31.03.2021 तक जलपान गृह चलाने के लिए बंद लिफाफे में निविदा न्यायालय भवन नजारत सिविल जज, (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट में दिनांक **20.08.2020** को **सायं 04.00 बजे** तक ली जायेगी।

नीलामी लेने वालो को निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा–

01– नीलामी में भाग लेनें वाले को रू0 5,000/– बतौर अमानत नजारत में जमा करना होगा।

02– नीलामी स्वीकृत तभी मानी जायेगी, जब यह नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग तुरन्त जमा कर देगें।

03– नीलामी लेने वालो को इस बात की घोषणा दाखिल करना होगा कि वह बकायेदार नहीं है।

04– बकायेदार व उसके पारिवारिक सदस्य नीलामी नहीं ले सकेगें।

05– नीलामी लेने वाले की बोली अन्तिम रूप से यदि स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे मान्नीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के आधार पर स्टाम्प पत्र में इकरारनामा दाखिल करने के उपरान्त ही जलपान–गृह चलाने की अनुमति दी जायेगी। इस सम्बन्ध में नीलामी की रकम के अनुसार शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस व स्टाम्प शुल्क नीलामी बोलने वाले के द्वारा देय होगा।

06– नीलामी प्राप्त करने पर ठेकेदार को न्यायालय से पानी/विद्युत के संयोजन से जल व विद्युत नहीं ले सकेगें।

07– नीलामी अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी को यह अधिकार है कि वह नीलामी को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है। उच्चतम् निविदा की भी नीलामी अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

08– नीलामी लेने वाले ठेकेदार को विक्रय योग्य सामान की मूल्य सूची रखना होगा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करना होगा।

09– विक्रय किया जाने वाला सामान हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, यदि वह सामान आपत्तिजनक पाया गया, तो उसका विक्रय बन्द कराने का अधिकार जिला जज को प्राप्त रहेगा। यदि संविदा भंग की जाती है, तो अमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

10– नीलामी वाले का नगर पालिका परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया टैक्स अदा करना होगा व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सभी वॉछित पंजीकरण कराना होगा।

11– नीलामी वाले के द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि की अन्तिम किश्त/अग्रिम किश्त में उसके आग्रह पर समायोजित की जायेगी अथवा अन्तिम किश्त जमा

...........02

होनें के बाद अमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी लेने वाले को एक जमानतदार देना होगा, जिसकी हैसियत सरकारी कागजात के अनुसार नीलामी धनराशि के बराबर होगी।

12– नीलामी लेने वाले व्यक्ति की नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 भाग धनराशि अग्रिम किश्त के रूप में जमा करना होगा।

13– नीलामी लेने वाले को विक्रय योग्य खाद्य पदार्थो के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। सभी सामान का विक्रय मूल्य सूची के सामने बोर्ड पर लगाना होगा तथा बाजार के समतुल्य रखना होगा।

14– स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानों व वस्तुओं की दरो एवं इकरारनामा भंग करके बीच में जलपान गृह खाली कराया जा सकता है।

15– जलपान–गृह के अलावा नीलामी लेने वाला व्यक्ति नीलामी स्वीकृत होनें के उपरान्त उस दुकान को अन्य कोई व्यवसाय का सामान बिकी हेतु उपयोग नहीं कर सकता है।

16– नीलामी पर जलपान–गृह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर में किसी को ठहरने नहीं देगें तथा जिला जज व सिविल जज (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट के सभी सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों से आबद्ध रहेगें।

Kumar 31/7/2020

अध्यक्ष,
नीलामी समिति जलपान–गृह
अपर जिला जज, कक्ष संख्या 01, चित्रकूट।
31.07.2020